The Bihar Private Schools (Fees Regulation) Act, 2019

Act 8 of 2019

Keyword(s):
Fee Regulatory Committee, Fees, Management, Private School

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 फाल्गुन 1940 (श0)

(सं0 पटना 281) पटना, सोमवार, 25 फरवरी 2019

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

25 फरवरी 2019

सं० एल0जी0-01-07/2019/1572/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल **दिनांक 23 फरवरी, 2019** को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

[बिहार अधिनियम 8, 2019]

बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019

बिहार राज्य में निजी विद्यालयों द्वारा शुल्क संग्रहण के विनियमन तथा उससे संबंधित एवं उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत–गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। –

(1) यह अधिनियम बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ। – इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(i) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019;

(ii) **''शैक्षणिक वर्ष''** से अभिप्रेत है अप्रैल के प्रथम दिन से आरम्भ होकर मार्च के अंतिम दिन तक समाप्त होने वाला वर्ष;

(iii) **''राज्य अपीलीय प्राधिकार''** से अभिप्रेत है बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी– शिकायत निवारण नियमावली, 2015 के अधीन गठित राज्य अपीलीय प्राधिकार।

(iv) **''शुल्क विनियमन समिति''** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन गठित प्रमंडल स्तरीय समिति।

(v) **''शुल्क''** से अभिप्रेत है शिक्षार्थी से किसी कक्षा/पाठ्यक्रम में नामांकन एवं अध्ययन हेतु प्रवेश शुल्क, पुनर्नामांकन शुल्क, विकास शुल्क, वार्षिक शुल्क, अध्ययन शुल्क (ट्यूशन फी), पुस्तक, पाठ्य–सामग्री, पोशाक, आवागमन शुल्क अथवा अन्य किसी भी उद्देश्य के निमित्त प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से किसी भी प्रकार की संग्रह की गयी राशि।

(vi) **''सरकार''** से अभिप्रेत है बिहार सरकार।

(vii) **''प्रबंधन''** से अभिप्रेत है विद्यालय के प्रबंधन से संबंधित समिति कोई व्यक्ति, व्यक्तियों के निकाय, समिति या कोई अन्य शासी निकाय, चाहे वह जिस नाम से जाना जाता हो, जिसमें विद्यालय के प्रबंधन अथवा कार्यकलापों के प्रशासन की शक्ति निहित हो।

परंतु दातव्य तथा विन्यास से संबंधित तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा गठित अथवा नियुक्त विद्यालय का न्यास बोर्ड या शासी निकाय, चाहे जिस नाम से जाना जाता हो, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रबंधन समझा जाएगा।

(viii) **''निजी विद्यालय''** से अभिप्रेत है मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधिक व्यक्तित्व, व्यक्ति, व्यक्ति निकाय विनियमन संहिता के अधीन कोई अन्य सक्षम प्राधिकार से स्थापित विद्यालय प्री–प्राइमरी विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय जो नर्सरी से कक्षा XII तक या इसमें से किसी अलग–अलग कक्षा के लिए संचालित हों। किंतु इसमें राज्य सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालय और केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित और प्रशासित या अनुरक्षित कोई विद्यालय सम्मिलित नहीं है।

जिन विषयों पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं तदनुरूप राज्य सरकार की नियमावली अधिसूचित है उन विषयों पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अल्पसंख्यक कोटि के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित संस्थाओं पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

3. ''शुल्क विनियमन समिति'' हेतु प्रमंडल स्तर पर समिति का गठन। – प्रत्येक प्रमंडल में निम्नरूपेण प्रमंडलीय स्तरीय समिति होगी। पदेन सदस्य को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों का होगा।

1	प्रमंडलीय आयुक्त	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय शिक्षा उप निदशक	सदस्य–सचिव
3	प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला शिक्षा पदाधिकारी	सदस्य
4	जिलों के निजी विद्यालयों से कुल दो प्रतिनिधि (प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा नामित)	सदस्य
5	दो अभिभावक प्रतिनिधि (प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा नामित)	सदस्य

4. शुल्क का विनियमन। –

(1) निजी विद्यालय द्वारा कक्षा/पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क, पुनर्नामांकन शुल्क, विकास शुल्क, मासिक अध्ययन शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा पुस्तक, पाठ्य सामग्री, पोशाक, आवागमन का खर्च आदि का निर्धारण किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित सभी प्रकार के शुल्क का ब्यौरा विगत वर्ष एवं वर्त्तमान वर्ष का विद्यालय द्वारा आम लोगों की जानकारी के लिए विद्यालय सूचनापट्ट, विद्यालय के वेवसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा।

(2) पूर्व शैक्षणिक वर्ष की तुलना में विद्यालय सभी प्रकार के शुल्क में अधिकतम 7 (सात) प्रतिशत तक की वृद्धि स्वयं आवश्यकतानुसार कर सकता है। इसकी सूचना भी वह सूचनापट्ट एवं वेवसाईट पर देगा। इससे अधिक की वृद्धि होने की स्थिति में तथ्यों के साथ उसे वृद्धि का औचित्य दर्शाना होगा।

(3) पूर्व वर्ष के अपेक्षा सात प्रतिशत से अधिक की वृद्धि का विचारण शुल्क विनियमन समिति द्वारा किया जायगा। एतद्संबंधी विस्तृत प्रस्ताव अगला शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के कम से कम छः माह पूर्व विद्यालय प्रबंधन द्वारा शुल्क विनियमन समिति के समक्ष इसके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायगी। शुल्क विनियमन समिति जिला विशेष, जिसमें निजी विद्यालय अवस्थित है, की स्थिति तथा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अगले शैक्षणिक–सत्र के प्रारंभ होने के कम–से–कम तीन माह पूर्व प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन/निर्णय विद्यालय प्रबंधन को उपलब्ध करा देगी। अन्यथा विद्यालय प्रबंधन का उक्त प्रस्ताव शुल्क विनियमन समिति द्वारा अनुमोदित माना जायगा।

(4) राज्य सरकार को समय–समय पर 7 प्रतिशत की दर को पुनरीक्षित करने का अधिकार होगा।

(5) विद्यालय द्वारा प्रस्तावित 07 प्रतिशत से अधिक कोई भी वृद्धि शुल्क विनियमन समिति की विस्तृत जाँच के एवं मंजूरी के अधीन होगी।

(6) विद्यालय में कक्षावार पुस्तकों की सूची, ड्रेस की विशिष्टियाँ एवं अन्य अपेक्षित सामग्रियों की सूची विद्यालय द्वारा वेवसाईट एवं सूचनापट्ट पर जारी किया जाएगा। अभिभावक सुविधानुसार कहीं से भी उसे क्रय कर सकते हैं। विद्यालय या विद्यालय द्वारा निर्धारित दुकान, स्थान एवं संस्था से ड्रेस, पुस्तकों एवं अन्य सामग्रियों का क्रय करना अनिवार्य नहीं होगा। विद्यालय से अथवा स्थान विशेष से साम्रगी क्रय करने की बाध्यता रखनेवाले विद्यालय दंड के भागी होंगे।

5. शुल्क विनियमन समिति की शक्तियाँ एवं कृत्य। – शुल्क विनियमन समिति को शिकायत प्राप्त होने पर जाँच करने की शक्तियाँ होगी।

(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत निजी विद्यालय द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क बढ़ाये जाने पर विद्यालय द्वारा दिये गये विस्तृत विवरण के अनुरूप शुल्क वृद्धि हैं कि नहीं; प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) पिछले शैक्षिक वर्ष से 7 प्रतिशत से अधिक फीस की वृद्धि के मामलें में सम्बन्धित शिकायतकर्त्ता (अभिभावक) प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में लिखित शिकायत के रूप में 30 (तीस) दिनों के भीतर अपनी आपत्तियाँ दर्ज करायगें। निर्धारित/संशोधित से अधिक शुल्क के संग्रह से सम्बन्धित शिकायतों को सुनने की शक्ति प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति में निहित किया जाएगा, साक्ष्य और हलफनामें के साथ इस तरह की बढ़ोतरी पर शिकायत प्राप्त करने के दिन से 60 (साठ) दिन के अन्दर इस मामले में निर्णय लिया जायेगा।

(3) शुल्क विनियमन समिति के पास अपने कार्यो के निर्वहन से उत्पन्न होने वाली सभी मामले में अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी। इस धारा के अधीन किसी मामले में जाँच करते समय समिति को वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती है, अर्थातः–

(i) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पर साक्ष्य लेना तथा जाँच करना।

(ii) दस्तावेज का प्रकटीकरण ।

(iii) शपथ पत्र पर साक्ष्य का अभिग्रहण।

(iv) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिये समन जारी करना।

(v) मामले के बारे में भौतिक सत्यापन/पूछताछ का गठन।

6. लेखाओं का विनियमन।–निजी विद्यालयों द्वारा विहित रीति से लेखाओं एवं अभिलेखों का संधारण सही ढंग से किया जायेगा जिसको शुल्क विनियमन समिति द्वारा मांग के अनुरूप दिखाया जा सकेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा का अंकेक्षण किया जायेगा।

7. शास्तियाँ ।–निजी विद्यालय इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाई गई नियमावली अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्गत अधिसूचना के किसी प्रावधान के उल्लंघन करने पर शुल्क विनियमन समिति द्वारा निम्नलिखित प्रावधानित दण्ड शुल्क भुगतान के भागी होंगे। :–

(i) प्रथम अपराध के लिए अधिकतम 1,00,000/– (एक लाख) रूपये।

(ii) आगामी प्रत्येक अपराध के लिए अधिकतम 2,00,000/–(दो लाख) रूपये।

(iii) निर्धारित दंड एक माह के अन्दर जमा नहीं करने अथवा बार–बार नियमों का उल्लंघन के लिये दोषी पाये जाने की स्थिति में समुचित सक्षम प्राधिकार को, निजी विद्यालय अथवा सहायता पाने वाले विद्यालय की मान्यता अथवा अनुमोदन के अथवा किसी अन्य पाठ्यक्रम, जिसे निजी विद्यालय के संबंध में प्राप्त परिवाद पर संबंधन रदद् करने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त सरकार को अनुशंसा करेगा।

(iv) साक्ष्य एवं शपथ पत्र के साथ अत्यधिक शुल्क वृद्धि या इस अधिनियम के किसी अन्य बिन्दु पर अभिभावक शिकायत पत्र समर्पित करता है तो 60 दिनों के भीतर शुल्क विनियमन समिति निर्णय लेगी।

(v) शुल्क विनियमन समिति के स्तर पर लिए गए निर्णय से असंतुष्ट होने पर कोई पक्ष विद्यालय/अभिभावक राज्य अपीलीय प्राधिकार के समक्ष नियमानुसार अपील दायर कर सकता है।

8. अपील।–शुल्क विनियमन समिति के निर्णय तथा निजी विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के विरूद्ध एवं शुल्क विनियमन समिति द्वारा आरोपित दंड के विरूद्ध अपील बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी शिकायत निवारण नियमावली, 2015 के अधीन गठित राज्य अपीलीय प्राधिकार के समक्ष संस्थित की जा सकेगी।

9. दंड में प्राप्त राशि ।–जुर्माना के रूप में प्राप्त राशि सरकारी निकाय के सम्बन्धित मांग शीर्ष में जमा की जायेगी।

10. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन।–इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अन्तर्गत नियुक्त अथवा विनिर्दिष्ट **''फीस विनियमन समिति''** से अपेक्षित तथा इनके द्वारा निपटाए गये, निर्णीत तथा निर्धारित किन्हीं मामलें में न्यायालय इन्हें प्रश्नगत कर इस मामले में निपटारा या निर्णय हेतु कोई कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत कृत अथवा अभीष्ट किसी विषय पर कोई आज्ञा जारी नहीं करेगा।

11. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिये संरक्षण। –इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत विहित किसी नियम के अधीन तथा इसके अनुकूल सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए सरकार, समुचित प्राधिकार अथवा सरकार या समुचित प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

12. **संशोधन की शक्ति**।–

(i) सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों, अथवा इसके अन्तर्गत विहित नियमों में समय–समय पर राजकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर, कोई परिवर्त्तन, इसमें कोई जोड़ अथवा विलोपित किया जा सकेगा तथा इस अधिसूचना द्वारा इस उद्देश्य से अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत विहित नियमावली में उपयुक्त संशोधन किया जायेगा तथा इसके उपरान्त इस अधिसूचना के प्रावधान अथवा इसके अन्तर्गत विहित नियमावली तदनुसार संशोधित हो जायेंगे।

(ii) उप धारा (i) के अन्तर्गत निर्गत की जाने वाली प्रत्येक अधिसूचना अधिसूचित किये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जायेगी।

13. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति ।– यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार आदेश द्वारा कोई ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो, अधिनियम के प्रावधानों से अंसगत नहीं हो और कठिनाईयों के निराकरण के प्रयोजनार्थ आवश्यक एवं समीचीन हो।

14. नियम बनाने की शक्ति।– राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम बना सकेंगे। सरकार को यह अधिकार होगा कि स्पष्टता तथा व्याख्या के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत आवश्यकतानुसार नियम बना सकेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

25 फरवरी 2019

सं० एल०जी०–01–07/2019/1573/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 फरवरी **2019** को अनुमत **बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019** **(बिहार अधिनियम 8, 2019)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

[Bihar Act 8, 2019]

The Bihar Private Schools (Fee Regulation) Act, 2019

AN

ACT

To provide for regulation of collection of fees by private schools in the State of Bihar and matters connected therewith and incidental thereto.

Be it may enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventieth year of the Republic of India as follows:-

1. ***Short title, extent and Commencement.—***(1) This Act may be called The Bihar Private Schools (Fees Regulation) Act, 2019.

(2) It extends to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. ***Definitions.-*** *In this Act, unless the context otherwise requires-*

(i) *"Act"* means the Bihar Private Schools (Fees Regulation) Act, 2019;

(ii) *"Academic year"* means the year commencing on the first day of April to the last day of March;

(iii) *"State Appellate Authority"* means the Appellate Authority Constituted under the Bihar State School Teachers and Employees Complain Redressal Rules, 2015;

(iv) *"Fee Regulatory Committee"* means committee constituted at the Divisional level as mentioned in section-3.

(v) *"Fees"* means any amount by whatever name called and collected, directly or indirectly by a school for the purpose of admission, readmission, development, annual fees, study fee (tuition fees), books, teaching material, Uniform, transportation fee/charges, extra/co- curricular activities or for any purposes from a pupil for any class/course of study.

(vi) *"Government"* means Government of Bihar;

(vii) *"Management"* in relation to a school means Managing Committee or any person, Body of persons, Committee or any Governing Body by whatever names called, in which power of management of school or administration of activities is vested:

Provided that the Board of Trustees or Governing Body of school/Board, by whatever names it is known, constituted or appointed by any Law for the time being in force relating to the charitable or any other institution and endowments and shall be deemed to be the management for the purposes of this Act;

(Viii) *"Private School"* means the School, established and administered or maintained by a person or body of persons, imparting pre-primary, primary, middle, Secondary and Senior Secondary education, i.e. conducting classes from Nursery to Class XII or a part there of, affiliated to a Board recognized by the Government. But, it does not include, an aided school or a School established and administered or maintained by the Central Government, State Government or any other local authority. Subjects on which the Right to Education Act, 2009 and Rules in conformity thereof, the State Government has notified, provisions of this Act will not apply. Provisions of this Act will not apply to the institutions being run under the provisions of Minority category.

3. ***Constitution of Fee Regulatory Committee at Division level.—*** There will be following Fee Regulatory Committee in each division. Term of members other than ex-***officio*** members shall be of two years:-

1	Divisional Commissioner	-	Chairman
2	Regional Deputy Director Education	-	Member Secretary

3	District Education Officer of divisional head quarter	-	Member
4	Total two representatives of private schools Nominated by the Divisional Commissioner	-	Member
5	Two guardian representatives nominated by the Divisional Commissioner	-	Member

4. ***Regulation of Fees in private Schools.—***

(1) Entry fees for admission in a class/course, Re-admission fees, development fees, monthly tuition fees, annual fees and costs of books, teaching materials, uniform, transportation etc shall be determined by the private school. The school shall display the details of all types of fees of last year and the present year for the information of general public on its notice board as also on its official website.

(2) The school may increase the fees up to a maximum of seven percent over and above the previous academic year, for all types of fees, as per requirements. It will give the requisite detailed information on its notice board and on the website. In case of any increase of fees more than that, it shall have to justify it based on facts.

(3) The power of considering the fees fixed beyond seven percent over and above the previous year shall be vested in the Fee Regulatory Committee. The School management shall submit a detail proposal in this regard to the Fee Regulatory Committee for its approval, at least six months prior to the commencement of the next academic session. The Fee Regulatory Committee shall convey its approval/decision to the school management at least three months before the commencement of the next academic session, after considering and taking into account the specific conditions and requirements of the specific district in which the school is located. In absence of this, the proposal of the school management would be deemed as approved by the Fee Regulatory Committee.

(4) The State Government shall have power to revise the seven percent limit from time to time.

(5) Any increase of more than seven percent proposed by a school shall be subject to due approval of the Fee Regulatory committee after its detailed scrutiny.

(6) Details regarding Class-wise book list, particulars of uniform, Notebook etc shall be displayed on the school Notice Board as well as on its website. The parents/guardians shall be at their liberty to procure the same from anywhere, including the market as be convenient to them. The schools cannot make it compulsory for parents/guardians to purchase the same from a shop/ place/ institution determined by them. Any such conditions, imposed by a school, shall constitute an offence on the part of the school, making them liable for punishment.

5. ***Powers and functions of the Fee Regulatory Committee.—*** The Fee Regulatory Committee shall have powers to examine, on receipt of complaint;

(1) Whether Fees enhanced by the Private School beyond the limit prescribed under the Act is in conformity with the details furnished by the school.

(2) In case of any increase in fees in excess of seven percent over and above the previous Academic year, the concerned complainant (Guardian) shall file his/her objections as a written complaint in the office of the Divisional Commissioner within 30(thirty) days from the date of determination of the fees. The power to hear complaints, relating to collection of excess fees more than the determined/revised fees, as the case may be, will be vested in the Committee headed by the Divisional Commissioner (Fee Regulatory Committee), which shall take decision in this matter within 60 (sixty) days of receiving complaints on such increases of fees with evidence and affidavit.

(3) The Fee Regulatory Committee shall have the power to regulate its own procedure in all matters arising out of the discharge of its functions, and shall, for the purpose of making any inquiry under this Act would have all the necessary powers of a civil court under the code of Civil procedure 1908; requisite for trying a suit in respect of the following matters under the Chairmanship of the Divisional Commissioner, namely –

(i) Summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him/ her on oath;

(ii) The discovery and production of any document;

(iii) The receipt of evidence on affidavits;

(iv) The issuing of any Commission for the examination of witness.

(v) Constituting any physical verification /enquiry regarding this matter.

6. ***Regulation of Accounts.—***The private School shall maintain its accounts and records in a proper manner which will be produced before the Fee Regulatory Committee on demand by the Committee. Accounts will be audited in each financial year by a Chartered Accountant.

7. ***Penalties.—***

(1) The schools in case of violation of any provisions of this Act or Rules made there under and notifications issued there under will be liable for the following penalties to be imposed by Fee Regulatory Committee.

(i) For first offence, maximum Rs.-1,00,000/- (one lakh);

(ii) For every subsequent offence, Rs- 2,00,000/- (Two lakh) per offence.

(iii) In case of not depositing determined penalty within a month, or in the case of commission of repeated offences, the Fee Regulatory Committee will have power to make recommendation of cancellation of recognition or approval of the private school or any other course for which the Divisional Commissioner received complaint in respect of the private school.

(iv) If the Guardian submits complaint on exorbitant increase of fees or any other point with evidence and affidavit, the Fee Regulatory Committee shall take decision within **60** (sixty) days.

(v) On being not satisfied with the decision taken at the Fee Regulatory Committee headed by the Divisional commissioner, any party may prefer appeal as per rules before the State Appellate Authority.

8. ***Appeal.—*** Appeal against the decision of the Fee Regulatory Committee may be filed before the State Appellate Authority constituted under the Bihar State School Teacher and Employees Dispute Redressal Rules, 2015.

9. ***Amounts received as penalties.—***Amount received as penalties shall be deposited in the Government Exchequer in the relevant Accounts Head.

10. ***Jurisdiction of Civil courts barred.—***No civil court shall have Jurisdiction to settle, decide or deal with any question or to determine any matter, which by or under this Act required to be settled, decided or determined by the **''Fee Regulatory committee''** appointed or specified by or under this Act, and no injunction shall be granted by any civil court in respect of anything which is done or intended to be done by or under Act.

11. ***Protection of action taken in good faith.—***No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government, appropriate authority or any other person authorized by the Government or appropriate authority for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule prescribed hereunder.

12. ***Power to amend.—***

(i) The Government may, from time to time, by notification in the Official Gazette, modify, add to or delete any provision of this Act or the rules prescribed and may, for that purpose, suitably amend this Act or the rules prescribed, by the said notification, and thereupon the provision in this Act or the rules prescribed shall stand amended accordingly.

(ii) Every notification issued under sub-section (i) relating to provisions of this Act shall be laid, as soon as may be, after it is issued, before the State legislature.

13. ***Power to remove difficulties.—*** If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Act, the Government may, by an order make such provisions which is not inconsistent with provisions of the Act and is necessary and expedient for the purposes of removing such difficulties.

14. ***Power to make Rules.—***The State Government may, by notification published in the official gazette, make Rules for the implementation of the provisions of this Act. The Government will have power to make Rules under this Act, as per needs, for explanation and interpretation.

By Order of the Governor of Bihar,
Jitendra Kumar,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 281-571+400-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in